



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

सेवणा है

11

22AC 650258

इनकाला दोहरे १० रुपयों का
For अमान निकाली जाएगी 1000/-



The Contents of The Document
Read Over & Explained /to The
Deponent/Executive, Thereafter
This Document is Notarised

Abdul Vakil (Advocate)
Notary-Etawah City
Reg.No.69(4)95
04/04/2014

(गननीय भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक 3/4/2012/SDR दिनांक 24.08.2012 के आधार पर संशोधित)

प्रारूप—26



41—इटावा (अ०जा०) लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से

५। इस्तेवा लोकसभा निर्वाचन लोकसभा पौष्टि (सदन का नाम)

के लिये निर्वाचन के लिये रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-क

मैं दूरविलास १२८ **पुत्र/पुत्री/प्रसन्नी रक्क की राख पुस्ताको आयु ४५ वर्ष, जी. १२९३६ गुरुवार विकास नार्वे से रु. ५०० पु. की। (डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती कथन करता हूँ/करती हूँ:-

- (1) मैं कांगड़ा गुरुकिंस पार्टी (**)राजनीतिक दल का नाम) द्वारा खबर
**एक स्वतंत्र अमरणी के रूप में लड़ रहा हूँ।
(**) जो लागू न हो उसके काट दें)

(2) मेरा नाम दरविलास दोटे (प्राप्ति इमारत क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग
संख्या 193 के क्रम संख्या 196 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा सम्पर्क टेलीफोन नं. 9457721598 है और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो)
अभी नहीं है।

(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रारिधिति :-

क्रम सं०	नाम	पैन नं०	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अन्तिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपये में)
1.	स्थवं	BFLPS9540A	२०१३-१४ ट्रॉ	194660/-
2.	फते या पल्ली	AFOPD1831P	२०१३-१४	497100/-
3.	आश्रित-1	लाल नदी	लाल नदी	लाल नदी
4.	आश्रित-2	लाल नदी	लाल नदी	लाल नदी
5.	आश्रित-3	लाल नदी	लाल नदी	लाल नदी

- (5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दूरीमें किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय करो आपसमें विवरित किया गया है/ किए गए हैं। यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का वकील अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा / करेगी—

-Shawn

- (i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित हैं जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं :-

(क)	मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/ संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/ राज्य के पूर्ण ब्यौरे	<u>लागू नहीं</u>
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	<u>लागू नहीं</u>
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	<u>लागू नहीं</u>
(घ)	न्यायालय जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	<u>लागू नहीं</u>
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	<u>लागू नहीं</u>
(च)	क्या राभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/ हैं	<u>लागू नहीं</u>

- (ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है (पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न) :- (ऐसे सभी विचाराधीन मामलों का उल्लेख करें जिसका न्यायालय ने संज्ञान लिया है दण्ड की मात्रा व विरचित आरोपों से असंबद्ध होकर उल्लेख करना चाहिए)

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	<u>लागू नहीं</u>
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	<u>लागू नहीं</u>
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों) / आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	<u>लागू नहीं</u>

- (6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/ नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/ नहीं दिया गया है :

यदि अभियाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और बंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा :

—इश्वरीलाल



निन्मलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है :-

(क)	उन मामलों के ब्यौरे अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	<u>लाइट</u>
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेष (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	<u>लाइट</u>
(ग)	अधिरोपित दंड	<u>सौन</u>
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेष के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी / है। यदि हाँ, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रारिधिति	<u>लाइट</u>

(7) मैं, मेरे/मेरे प्रति-या-पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और रथावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पणी 1. संयुक्त स्वामित्र की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है :-

टिप्पणी 2. जमा / विनिधान की दस्ता में क्रम सं०, राष्टि, जमा की तारीख, रकीम, बैंक / संस्था का नाम तथा शाखा सहित बीरे दिए जाने हैं।

टिप्पणी 3. सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/ शेयर डिवेंचरों का मूल्य स्टाक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पणी 4. यहाँ आकृति का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पणी 5. रकम सहित व्यारे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं०	विवरण	स्वय	पते या पत्नी	आधित-१	आधित-२	आधित-३
(i)	हाथ में नकदी	२५०००/-	१०,०००/-	३००/-	१५००/-	८०० रुपये
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बदता खाते भी हैं) वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा से रकम	५२०००/- हृष्टेर कॉल इंडिया वेच्टलिल्टो वैदु आद. ग्राम्प्रज्ञन	१५०००/- कौशलपरोफि वैक	३०,००० हृष्टेर कॉल इंडिया रिस	२९,०००/- हृष्टेर कॉल	८०० रुपये



(iii)	कंपनियों / म्यूचुअल फण्ड और अन्य में बंधपत्रों, डिवेचरों / शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के बीच और रकम	लागू हो	लागू हो	लागू हो	लागू हो	लागू हो
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के बीच और डाकघर या बीमा कम्पनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	लागू हो	उपलब्ध की जानकारी	लागू हो	लागू हो	लागू हो
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण / अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम	लागू हो	लागू हो	लागू हो	लागू हो	लागू हो
(vi)	मोटरयान / वायुयान / याट / पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	लागू हो	लागू हो	लागू हो	लागू हो	लागू हो
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के बीच)	रुप. ८०००/- शे १०,०००/- २५०००/-	लोक ७० पेन२३१०८ कृष १३१०८ खण्ड १०,०००	लागू हो	लागू हो	लागू हो
(viii)	कोई अन्य अस्तियां जैसे कि दावों / हित का मूल्य	लागू हो	लागू हो	लागू हो	लागू हो	लागू हो
(ix)	सकल कुल मूल्य	1,३१००/- २,९१००/- २५००/- ३८००/-	लागू हो			

—
—
—

.4..



८. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे :-

टिप्पणी १. संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।


टिप्पणी २. प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं०	विवरण	स्वयं	प्रति या पत्ती	आश्रित-१	आश्रित-२	आश्रित-३
(i)	कृषि भूमि की अवरिधति (अवरिधतियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	१० टैक्ट	लाइनी	लाइनी	लाइनी	लाइनी
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	२.५कड़	लाइनी	लाइनी	लाइनी	लाइनी
	क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हो या नहीं)	है	लाइनी	लाइनी	लाइनी	लाइनी
	स्वअर्जित सम्पत्ति की दधा में क्रय की तारीख	लाइनी	लाइनी	लाइनी	लाइनी	लाइनी
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दधा में)	लाइनी	लाइनी	लाइनी	लाइनी	लाइनी
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लाइनी	लाइनी	लाइनी	लाइनी	लाइनी
(ii)	गैर-कृषि भूमि की अवरिधति (अवरिधतियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	जाइनी	जाइनी	जाइनी	जाइनी	जाइनी
	क्षेत्र (वर्गफुट में कुल माप)	८५८८	लाइनी	लाइनी	लाइनी	लाइनी
	क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हो या नहीं)	जाइनी	जाइनी	लाइनी	लाइनी	लाइनी
	रकअर्जित सम्पत्ति की दधा में क्रय की तारीख	लाइनी	जाइनी	लाइनी	लाइनी	लाइनी
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दधा में)	लाइनी	लाइनी	लाइनी	लाइनी	लाइनी
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लाइनी	लाइनी	लाइनी	लाइनी	लाइनी
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	लाइनी	लाइनी	लाइनी	लाइनी	लाइनी



(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	लाइनी	लाइनी	लाइनी	लाइनी	लाइनी
	क्षेत्र (वर्गफुट में कुल माप)	लाइनी	लाइनी	लाइनी	लाइनी	लाइनी
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लाइनी	लाइनी	लाइनी	लाइनी	लाइनी
	क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हो या नहीं)	लाइनी	लाइनी	लाइनी	लाइनी	लाइनी
	स्वअर्जित सम्पत्ति की दधा में क्रय की तारीख	लाइनी	लाइनी	लाइनी	लाइनी	लाइनी
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दधा में)	लाइनी	लाइनी	लाइनी	लाइनी	लाइनी
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लाइनी	लाइनी	लाइनी	लाइनी	लाइनी
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	लाइनी	लाइनी	लाइनी	लाइनी	लाइनी
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	स्कृल्पा	लाइनी	लाइनी	लाइनी	लाइनी
	क्षेत्र (वर्गफुट में कुल माप)	४०० कर्फ्फी	लाइनी	लाइनी	लाइनी	लाइनी
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	४०० कर्फ्फी	लाइनी	लाइनी	लाइनी	लाइनी
	क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हो या नहीं)	लाइनी	लाइनी	लाइनी	लाइनी	लाइनी
	स्वअर्जित सम्पत्ति की दधा में क्रय की तारीख	लाइनी	लाइनी	लाइनी	लाइनी	लाइनी
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दधा में)	लाइनी	लाइनी	लाइनी	लाइनी	लाइनी
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लाइनी	लाइनी	लाइनी	लाइनी	लाइनी
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	लाइनी	लाइनी	लाइनी	लाइनी	लाइनी
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	लाइनी	लाइनी	लाइनी	लाइनी	लाइनी
(vi)	पूर्वांकित (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	६० लाइनी	लाइनी	लाइनी	लाइनी	लाइनी


.....
.....



(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के बीचे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पणी : कृपया बैंक, संस्था, निकास या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के बीचों का पृथक विवरण दें)

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक / वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	द्वारा दिया गया	रुपये ३५,००० उत्तराखण्ड जल गृही १०,०००	जाह्नवी	रुपये ७५,०००/ रुपये ३५,०००	जाह्नवी
	पूर्वोक्त से मिल किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	द्वारा	द्वारा	द्वारा	द्वारा	द्वारा
	कोई अन्य दायित्व	द्वारा	द्वारा	द्वारा	द्वारा	द्वारा
	दायित्वों का कुल योग	द्वारा	द्वारा	द्वारा	द्वारा	द्वारा
(ii)	सरकारी शोध्य सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	द्वारा	द्वारा	द्वारा	द्वारा	द्वारा
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	द्वारा	द्वारा	द्वारा	द्वारा	द्वारा
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	द्वारा	द्वारा	द्वारा	द्वारा	द्वारा
	टेलीफोन/ मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	द्वारा	द्वारा	द्वारा	द्वारा	द्वारा
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	द्वारा	द्वारा	द्वारा	द्वारा	द्वारा
	आयकर शोध्य	द्वारा	द्वारा	द्वारा	द्वारा	द्वारा
	धनकर शोध्य	द्वारा	द्वारा	द्वारा	द्वारा	द्वारा
	सेवाकर शोध्य	द्वारा		द्वारा	द्वारा	द्वारा
	नगरपालिका/ सम्पत्ति कर शोध्य	द्वारा	द्वारा	द्वारा	द्वारा	द्वारा
	विक्रयकर शोध्य	द्वारा	द्वारा	द्वारा	द्वारा	द्वारा
(iii)	कोई अन्य शोध्य	द्वारा	द्वारा	द्वारा	द्वारा	द्वारा
	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	द्वारा	रुपये १५,००० ग्रामकालीन	द्वारा	रुपये ६०,०००/ ज्ञानपीठ	द्वारा
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हाँ तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लिखित है का वर्णन करें	द्वारा	द्वारा	द्वारा	द्वारा	द्वारा



द्वारा

(9) वृत्ति या उपजीविका के बारे :-

(क) स्वयं उच्च विद्यालय दोषकालीन

(ख) पुति या पत्नी राज्यमुरीदीका (सर्विं)

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है :-

B.A. LL.B. (एड्सेक्टर)

(प्रमाणपत्र / डिप्लोमा / डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय / विष्वविद्यालय पिक्षा के बारे देते हुए विद्यालय / महाविद्यालय / विष्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)


भाग-ख

(ii) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गए ब्यौरों का उद्धरण :-

1.	अभ्यर्थी का नाम	श्री/ श्रीमती/ कुमा <u>उच्च विद्यालय दोषकालीन</u>	
2.	डाक का पूरा पता	A-136 उत्तराखण्ड विकास कानूनी दूरबीन	
3.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	५१ लैक समा उत्तराखण्ड	
4.	उस राजनीतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा 'स्वतन्त्र' लिखें)	कुड़िजन मुकित पार्टी	
5.	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं। (ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने सज्जान लिया है [ऊपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न]	लागू नहीं	
6.	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। [लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1) उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाएँ]	लागू नहीं	
7.	का स्थायी लेखा संख्या	वह वर्ष जिसके लिए अन्तिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्पित आय
(क) अभ्यर्थी	<u>उच्च विद्यालय दोषकालीन</u>	२०१३-१४	194660/-
(ख) पुति या पत्नी	<u>उच्च विद्यालय दोषकालीन</u>	२०१३-१४	497140/-
(ग) आन्तिक	<u>उच्च विद्यालय दोषकालीन</u>	२०१३-१४	1000/-

7.	का स्थायी लेखा संख्या	वह वर्ष जिसके लिए अन्तिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्पित आय
(क) अभ्यर्थी	<u>उच्च विद्यालय दोषकालीन</u>	२०१३-१४	194660/-
(ख) पुति या पत्नी	<u>उच्च विद्यालय दोषकालीन</u>	२०१३-१४	497140/-
(ग) आन्तिक	<u>उच्च विद्यालय दोषकालीन</u>	२०१३-१४	1000/-

उच्च विद्यालय



09/09/2014

८. आस्तियों और दायित्वों के ब्लौरे (रूपये में) :-

क्रम सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-१	आश्रित-२	आश्रित-३
क.	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	1,३०५८८/-	२,९१८६७/-	८८४४/-	८८४४/-	८८४४/-
ख.	स्थावर आस्तियां			८८४४/-	८८४४/-	८८४४/-
(i)	स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	२,८७९८८/-		८८४४/-	८८४४/-	८८४४/-
(ii)	क्रय के पश्चात् स्थावर सम्पत्ति की विकास / सनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	८८४४/-		८८४४/-	८८४४/-	८८४४/-
(iii)	अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	८८४४/-		८८४४/-	८८४४/-	८८४४/-
	क— स्वार्जित आस्तिया (कुल मूल्य) ख— विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	२५ लाख ३५ लाख	२,९१८६७/- ६० लाख	८८४४/- ८८४४/-	८८४४/- ८८४४/-	८८४४/- ८८४४/-

9. दायित्व :-

(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	३ लाख ४५	३०८०८	ग्रन्थालय	वार्षिक	प्रति वर्ष
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	१,४०,००७	१,४०,०००	ग्रन्थालय	वार्षिक	प्रति वर्ष

10. ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं :-

(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	५२०५	३८०४	३६०१	३७०५	३८०५
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	३८०५	३८०५	३८०५	३८०५	३८०५

11. उच्चतम शैक्षिक अर्हता :

(प्रमाण पत्र/ डिप्लोमा/ डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/ विश्वविद्यालय पिक्सा, विद्यालय/ महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

ਹਾਈ ਕੋਰਟ	1968	ਕੁਲਾਲਪੁਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਰੀਂ	146857	੮੦੦	1941/੮੦੦
ਹਾਈ ਕੋਰਟ	1972	ਕੁਲਾਲਪੁਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਰੀਂ	180968	੮੦੦	1961/੮੦੦
ਕੋਈ	1970	ਕੁਲਾਲਪੁਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਰੀਂ	6782	੮੦੦	1928/੮੦੦
22-B-	1983	ਕੁਲਾਲਪੁਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਰੀਂ	18090	੮੦੦	1971/੮੦੦

सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस अपेक्षमत्र की विधय वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है, तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि *City No 984 (1955)*



- (क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग के और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है।
- (ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आक्रितों के पास ऊपर भाग की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 02/01/2014

को मुमुक्षु (रथाज़) पर सत्यापित किया।

अभिसाक्षी

इमरान खान



- टिप्पणी 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।
- टिप्पणी 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिशनर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटेरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।
- टिप्पणी 3. सभी स्तम्भों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तम्भ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थिति 'शून्य' या 'लागू नहीं होता' उल्लिखित किया जाना चाहिए।
- टिप्पणी 4. शपथपत्र टकित या सपाठयरूप से साफ—साफ लिखित होना चाहिए।
- टिप्पणी 5. अभ्यर्थियों द्वारा अधूरा शपथपत्र दाखिल करने के संबंध में माझे उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) वर्ष 2008 की संख्या 121—रिसर्जेंस इण्डिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य में दिये गये दिनांक 13—09—2013 के निर्णय के अनुपालन में अभ्यर्थियों द्वारा सभी कॉलम भरे जाने आवश्यक हैं। किसी भी कॉलम को खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथपत्र दाखिल करते समय रिटर्निंग अधिकारी को यह जांच करनी होती है कि नामांकन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथपत्र के सभी कॉलम भरे हुये हैं। यदि नहीं तो रिटर्निंग अधिकारी अभ्यर्थी को खाली कॉलमों में सूचना प्रस्तुत करने के लिये एक अनुस्मारक देंगे। माझे न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि किसी मद में प्रस्तुत करने के लिये कोई सूचना नहीं है तो ऐसे मामलों में यथोचित टिप्पणी जैसे : 'शून्य' या 'लागू नहीं होता' या 'ज्ञात नहीं है', जैसा भी है। उपर्युक्त टिप्पणी दर्शायी जायेगी। उन्हें कोई कॉलम रिक्त नहीं छोड़ना है। यदि अनुस्मारक देने के बावजूद कोई अभ्यर्थी खाली कॉलम भरने में असमर्थ रहता है तो नामांकन पत्रों की जांच के समय रिटर्निंग अधिकारी द्वारा ऐसे नामांकन पत्र निरस्त किये जाने के लिये उत्तरदायी होंगे।
- टिप्पणी 6. शपथपत्र के पैरा 3 में सूचना निम्नलिखित अनुसार उपलब्ध कराई जानी चाहिए:-

“मेरा टेलीफोन नं 945-2221578/ है,

मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो)

और मेरा सोशल मीडिया एकाउन्ट (यदि कोई हो)



इमरान खान

10.

(→) 11